न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./145/2024/बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. हरचन्दराम पुत्र भैराराम 2. भलाराम पुत्र भैराराम 3. फसाराम पत्र भैराराम 4. माधाराम पुत्र भैराराम 5. जगाराम पुत्र मांगाराम 6. कृष्णाराम पुत्र मांगाराम 7. श्रीमती लेहरों पत्नी मांगाराम 8. पारसाराम पुत्र मांगाराम 9. जोईताराम पुत्र हरदाराम 10. रमेश पुत्र हरदाराम 11. वजाराम पुत्र केसाराम 12. दलाराम पुत्र केसाराम 13. शानीदेव पुत्र पोकराराम 14. गौतम पुत्र पोकराराम 15. गोविन्द पुत्र पोकराराम 16. सुरेश पुत्र पोकराराम 17. कुमारी दाड़मी पुत्री पोकराराम 18. कुमारी एलची पुत्री पोकराराम 19. सुरेन्द्र कुमार पुत्र पोकराराम 20. श्रीमती चनणी पत्नी पोकराराम 21. सांवलाराम पुत्र पोकराराम 21/1. बीरबल पुत्र सांवलाराम 21/2. खुशबू पुत्री सांवलाराम 21/3. श्रीमती लवगोंदेवी पत्नी सांवलाराम (अपीलांट संख्या 21/1 से 21/2 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता लवगोंदेवी पत्नी सांवलाराम) जातियान मेघवाल, निवासी सिधासवा चौहान/अजा का फांटा, भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।	1. सोनाराम पुत्र सुरताराम 2. नगाराम पुत्र रणछाराम 3. करनाराम पत्र सोनाराम 4. जमना पत्नी नरसी फौत के का. मु. अपीलांट संख्या 5 व 6– 5. गौतम पुत्र नरसी 6. मसरा पुत्री नरसी 7. पांचा पुत्र मोती 8. भगवाना पुत्र केसा 9. मोहन पुत्र केसा 10. रमकू पत्नी केसा 11. हरियादेवी पत्नी नागजीराम 12. सांवलाराम पुत्र नागजीराम 13. शिवजीराम पुत्र नागजीराम 14. मोबताराम पुत्र मूलाराम 15. जैसाराम पुत्र मूलाराम 16. छोगा पुत्र धना फौत के का. मु– 16/1. आसू पुत्र छोगा 16/1. ईशरा पुत्र छोगा 16/1. गणपंत पुत्र छोगा, जाति मेघवाल, निवासी खंगारपुरा, सिधावास चौहान भाखरपुरा, तह. गुडामालानी, जिला बाड़मेर। 17. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा गुडामालानी 18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 2024/182 (72/2024) बउनवान सोनाराम बनाम नगा वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.07.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हरीराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पों. संख्या 1 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—28.08.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पों. संख्या 1/वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि ग्राम खंगारपुरा, पटवार हल्का भाखरपुरा, तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 8 रकबा 4.8077 हेक्टेयर व ग्राम सिधास्वा चौहटन में खसरा सख्या 184, 184/1, 202, 203, 203/1 रकबा 1.9524, 2.3310, 0.0612, 1.0117, 1.1817 कुल रकबा 6.4831 हेक्टेयर का आया हुआ है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग—अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट संख्या 01/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा—काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादी (अपीलांट) के नाम से प्रथम बार में ही डाक से सम्मन जारी किये गये अपीलांट के नाम से जारी सम्मन अपीलांट से व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुये फिर भी अपीलांट की गलत रूप से एकतरफा कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.07.2024 को जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेसपों. संख्या 1/वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स व रेसपोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि ग्राम खंगारपुरा, पटवार हल्का भाखरपुरा, तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 8 रकबा 4.8077 हेक्टेयर व ग्राम सिधारवा चौहटन में खसरा संख्या 184, 184/1, 202, 203, 203/1 रकबा 1.9524, 2.3310, 0.0612, 1.0117, 1.1817 कुल रकबा 6.4831 हेक्टेयर का आया हुआ है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग-अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट संख्या 01/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा-काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादी (अपीलांट) के नाम से प्रथम बार में ही डाक से सम्मन जारी किये गये अपीलांट के नाम से जारी सम्मन अपीलांट से व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुये फिर भी अपीलांट की गलत रूप से एकतरफा कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.07.2024 को जारी की गई। अपीलांट के नाम से जारी सम्मन अपीलांट से व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुये और न ही डाक से कोई सम्मन प्राप्त हुआ, जिससे सांवित है कि अपीलांट को वाद की कोई सूचना प्राप्त हुई हो। जिस कारण अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो जाये। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलांट की तामील के बारे में कोई जांच नहीं की। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील की प्रक्रिया सीपीसी आदेश 5 नियम 17 से 20 के अनुसार पूरी किये बिना ही जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन को विधिवत रूप से अपीलांट से तामील नहीं करवाया गया है तथा अपीलांट के नाम से प्रथम बार ही डाक से नोटिस जारी किये गये हैं जबकि विधिवत रूप से प्रथम बार में जरिये तामील कुनिंदा से सम्मन तामील करवाया जाना आवश्यक है परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रथम बार में ही डाक से नोटिस भेजे गये तथा नोटिस अपीलांट से विधिवत तामील ही नहीं हुई है तथा डाक मिलने की ए.डी. भी पत्रावली में मौजूद नहीं है न ही अपीलांट ने किसी को अधिवक्ता को नियुक्त किया, न ही किसी अधिवक्ता को वकालतनामा या अन्य कोई दस्तावेज दिया था। इस प्रकार अपीलांट न तो स्वयं और न ही वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे। फिर भी अपीलांट के विरूद्ध विधि के विपरीत जाकर एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। वादी (रेस्पोडेन्ट संख्या 01) ने अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुऐ तथा बिना साक्ष्य पेश किये व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलांट की गलत तरीके से तामील मानते हुए अपीलांधीन निर्णय एकतरफा पारित करवाया। अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्ति के विरूद्ध बिना संशोधित शीर्षक लिये ही पारित किया गया है। उक्त अपीलांधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी(अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन–फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–2023(1) RRT Page No.- 375

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी का मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग हिस्से खुले हुये हैं परन्तु विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट संख्या 01/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतयाः विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा–काश्तशुदा है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01(वादी) को अपनी हक–हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इसलियें सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिस अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कब्जा काश्त अनुसार प्राप्त हुआ है। साथ ही हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के पक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। और ना ही हिस्से को लेकर अपीलांट द्वारा कोई प्रश्न हाजा न्यायालय में किया गया है। जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अपीलांट्स को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन प्रेषित किये गये थे जिसकी Item delivered की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पों. संख्या 01/वादी द्वारा पेश की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय की हस्तगत पत्रावली की आंदेशिका के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण को तामील हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। बाद तामील उपस्थिति नहीं होने के कारण प्रतिवदीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलाटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। वकील अपीलांट के कथनानुसार एवं दस्तावेज अनुसार अपीलांट द्वारा अपनी ओर से पैरवी व प्रतिरक्षा करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता ही नियुक्त नहीं किया गया था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह अपीलांट/प्रतिवादी को सूचित करते और सूचित करने के बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी। अपीलाधीन ओदश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। जो विधि द्वारा बाधित है। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर